रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2018/चैत्र 6, 1940
No. 104] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2018/CHAITRA 6, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

सामान्य अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

विषय: भारत सरकार की प्रतिभूतियों की बिक्री

फा.सं. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018.—भारत सरकार की अधिसूचना फा.सं. 4(9)-डब्ल्यूएंडएम/2000 दिनांक 6 मई, 2002और अधिसूचना फा.सं. 4(13)-डब्ल्यूएंडएम/2008 दिनांक 8 अक्तूबर, 2008 का अधिक्रमण करके, भारत सरकार, एतद्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जिन्हें आगे प्रतिभूतियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के निर्गम के लिए सामान्य दिशानिर्देश अधिसूचित करती है। सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम इस अधिसूचना (जिसे साधारण अधिसूचना कहा गया है) में दी गई निबंधन एवं शर्तों तथा प्रत्येक प्रतिभूति निर्गम के संबंध में समय-समय पर जारी की गई विशिष्ट अधिसूचना में पृथक रूप से अधिसूचित शर्तों के अधीन किया जाएगा।

साधारण अधिसूचना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति के निर्गमों पर लागू सामान्य निबंधन तथा शर्तों और विभिन्न किस्मों की सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम की विशेषताओं तिथि प्रणालियों का उल्लेख करना रहा है। प्रत्येक प्रतिभूति निर्गम के संबंध में समय-समय पर जारी की गई विशिष्ट अधिसूचना साधारण अधिसूचना की संपूरक होगी और इसमें किसी विशेष प्रतिभूति निर्गम से संबंधित विशिष्ट लक्षणों को शामिल किया जाएगा।

2. सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू सामान्य निबंधन और शर्तें

सरकारी प्रतिभूतियों के सभी निर्गमों पर लागू सामान्य निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी:

2.1 निवेश के लिए पात्रता

फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, राज्य सरकारों, भविष्य निधियों और न्यासों सहित भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है। अनिवासी भीरतीय, भारतीय मूल के व्यक्ति "सेबी"के पास पंजीकृत एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी और आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति जो भारत के निवासी नहीं हैं, इस संबंध में भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के पात्र हैं। विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा विदेशी केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए रुपये में निवेश संबंधी योजना में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अधीन भारत सरकार से परामर्श करनके सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु पात्र हैं। भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति अथवा ऐसी किसी भी कंपनी जो भारत से बाहर निगमित हैं और ऐसी कंपनी की किसी भी शाखा द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू कानून के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ही निवेश किया जाएगा।

2.2 न्यूनतम अभिदान

सरकारी प्रतिभूतियों को 10,000 रुपये (अंकित मूल्य) की न्यूनतम राशि और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणजों में निर्गमित किया जाएगा।

2.3 आवेदन की प्रक्रिया

(i) नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीलामी बंद होने के समय तक नीलामी के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्युशन (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियों जैसाकि नेटवर्क की विफलता आदि को छोड़कर भौतिक रूप में बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तथापि, एफपीआई और एनआरआई को अपना आवेदन नामोदिष्ट प्राधिकृत डीलर बैंक शाखाओं के जरिए प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) नीलामी के तरीके जैसाकि सॉवरेन स्वर्ण बांड, 7.75% बचत कर योग्य बांड आदि के जरिए को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों के लिए विधिवत रूप से भरे हुए पूर्ण आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय या इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी कार्यालय में विनिर्दिष्ट तारीख पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समय/बैंकिंग समय समाप्त होने के पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले इच्छुक व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्रपत्र में यथा विनिर्दिष्ट निबंधन व शर्तों द्वारा भी आबद्ध होंगे।

2.4 सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भुगतान

सफल आवेदकों/निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए भुगतानर विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित ऐसी तारीखों पर भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के पक्ष में देय चैक अथवा बैंकर के भुगतान आदेश या भारतीय रिजर्व बैंक में अपने चालू खातें के नामे डालने के प्राधिकार या इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य तरीके द्वारा किया जा सकता है।

2.5 प्रतिभूति का रूप

निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम भारतीय रिजर्व बैंक में उनके सहायक सामान्य बही खाते में या उनके द्वारा यथानिद्रिष्ट संस्था के घटक के सहायक सामान्य बही खाते[1]में जमा करके अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे बांड बही खाते में जमा करके या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के अनुसार इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य संस्था, अथवा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के उपबंधों के तहत यथानिर्धारित ऐसे किसी अन्य प्रपत्र के द्वारा किया गया जाएगा। जहां आवश्यक होगा सरकारी प्रतिभूतियों के प्रपत्र को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

2.6 ब्याज का भुगतान

(i) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों या इस प्रयोजन हेतु समय-समय पर अधिसूचित भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय या भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओंया लोक ऋण कार्यालय का कार्य करने वाले

---

[1]सीएसजीएल भारतीय रिजर्व बैंक में एससीएल खाते हैं जहां बैंक के उपभोक्ताओं की सरकारी प्रतिभूतियां बैंक की स्वयं की धारित सरकारी प्रतिभूतियों से अलग रखी जाती है।

किसी भी राजकोष अथवा उप-राजकोष में जहां भारतीय रिजर्व बेंक का कोई कार्यालय अथवा भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा नहीं है सिक्किम को छोड़कर जहां सिक्किम के स्टेट बैंक के साथ टाइ-अप है के द्वारा किया जाएगा। प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में अपनी तरफ से निर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण के कार्यालय के पास रखे बांड बही खाते में ऐसे कार्यालय/अभिकरण में किया जाएगा।

(ii) ब्याज का भुगतान रुपये के निकटतम पूर्णांक में किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे से कम ब्याज की राशि को नजर अंदाज कर दिया जाएगा और पचास पैसे अथवा अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

2.7 सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-अदायगी

(i) सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी-अदायगी भारतीय रिजर्व बैंक के उस लोक ऋण कार्यालय या किसी अन्य संस्था को की जाएगी, जहां पर ये वापसी-अदायगी के लिए पंजीकृत हैं।

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों को भारत सरकार के विकल्प पर, जहां एक सरकारी प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशेष अधिसूचना में 'कॉल आपशन'विनिर्दिष्ट किया गया हो, विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व वापसी-अदायगी की जा सकती है। ऐसे मामलों में मोचन विशिष्ट अधिसूचना में निहित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) सरकारी प्रतिभूतियों की, प्रतिभूति धारक के विकल्प पर, जहां एक सरकारी प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशेष अधिसूचना में एक 'पुट'आपश्न विनिर्दिष्ट किया गया हो, विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व वापसी-अदायगी की जा सकती है। ऐसे मामलों में मोचन विशिष्ट अधिसूचना में निहित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) सरकारी प्रतिभूतियों की पावसी अदायगी, उस स्थिति जहां न तो 'कॉल आपशन' और न ही 'पुट आप्शन'विनिर्दिष्ट/प्रयोग किया जाता है, विशेष अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मोचन तिथि पर की जाएगी।

2.8 सरकारी प्रतिभूति की हस्तांतरणीयता

(i) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बने सरकारी प्रतिभूतियों विनियम, 2007 और इस अधिसूचना की शर्तों तथा इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य अधिसूचना के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों को नवीकृत, उप-विभाजित, समेकित, रूपांतरित तथा अंतरित किया जा सकता है।

(ii) किसी प्रतिभूति के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण उन रूपों से संबंधित प्रतिबंधों के अधीन होगा जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी।

(iii) अनिवासी भारतीयों, एफपीआई तथा विदेशी केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत बने विनियमों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिभूतियों का अंतरण भी समय-समय पर यथा आशोधित सेबी के एफपीआई विनियम, 2014 के अधीन होगा।

2.9 सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में प्रयोज्य कानून

(i) सरकारी प्रतिभूतियोंको अभिदान करने वाले अथवा धारित करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकारों का निर्धारण ऐसे सभी विषयों के साथ किया जाएगा जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बने सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 तथा इस अधिसूचना के साथ पठित एवं समय-समय पर जारी अन्य कोई ऐसी अधिसूचना या इस संबंध में भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियों की शर्तों द्वारा होगा।

(ii) भारत में इस समय लागू कर कानूनों के उपबंध सरकारी प्रतिभूतियों के निवेशक अथवा धारक की देनदारी के आकलन और निर्धारण करने के प्रयोजनों हेतु प्रयोज्य होंगे।

(iii) सरकारी प्रतिभूतियोंके संबंध में किसी विवाद का निर्णय भारत में न्यायालयों द्वारा किया जाएगा।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भागीदारी

भारतीय रिजर्व बैंक भी समय-समय पर यथासंशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों की शर्तों के अधीन विशिष्ट परिस्थितियों में बोली में अप्रतिस्पर्धी के रूप में भाग ले सकता है या अन्य निर्गमों में सरकारी प्रतिभूतियों को अभिदान भी रक सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिभूतियों के आबंटन का आधार अंतिम मूल्य/नलीमी में आय अथवा भारत सरकार द्वारा तय किया गया कोई मूल्य/लाभ होगा।

4. सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के तरीके

भारत सरकार समय-समय पर सरकारी प्रतिभूतियों का निम्नलिखित तरीकों से निर्गम कर सकती है:-

(i) आय आधारित या मूल्य आधारित नीलामी

(ii) पूर्व घोषित निर्धारित कूपन दरों पर बोली भागीदारों तक सीमित होती है जैसाकि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है।

(iii) टैप बिक्री के माध्यम से

(iv) राजकोषीय हुंडियों/ दिनांकित प्रतिभूतियों के रूपांतरण द्वारा

(v) किसी अन्य तरीके के माध्यम से, जैसा अधिसूचित किया जाए।

5. सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम के भिन्न- भिन्न तरीकों की विशेषताएं

5.1 नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गम

(i) प्रतिभूतियों का निर्गम नीलामी के माध्यम से या तो कीमत आधार किया जाएगा। जहां निर्गम कीमत आधार पर होता है, कूपन का पूर्वनिर्धारण किया जाएगा, उदाहरणार्थ पुनर्निर्गमित सरकारी प्रतिभूति में और बोलीदाताओं को प्रतिभूति के प्रति 100 रुपये अंकित मूल्य पर कीमत उद्धृत करनी होगी जिस पर वे क्रय करना चाहते हैं। जहां निर्गम आय के आधार पर होता है प्रतिभूति के कूपन का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीलामी में उस पद्धति से किया जाता है जिसका प्रावधान इसके पश्चात् तथा पुनः समय-समय पर जारी की गई विशिष्ट अधिसूचना द्वारा किया जाता है। अस्थिर दर वाले बॉन्ड को छोड़कर परिपक्वता तक प्रतिभूति का कूपन वही रहता है।

(ii) दशमलव के चार अंकों तक व्यक्त तथा वार्षिक लाभ प्रतिशत अथवा वह मूल्य, जैसा भी मामला हो, का आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iii) आवेदक प्रत्येक बोली के लिए अलग-अलग आवेदन पत्रों के माध्यम से लाभ की भिन्न-भिन्न दरों पर एक से अधिक बोली लगा सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई बोलियों की कुल राशि विक्रय हेतु प्रस्तावित सरकारी प्रतिभूतियों की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, वह अतिरिक्त राशि जो ग्रीन शू के विकल्प के तहत बनाए रखी जा सकती है, यदि कोई है, जो सरकार प्रयोग करना चाहती हो। इसके अलावा, नीलामी में एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सभी बोलियों की कुल राशि उस विशेष नीलामी में बिक्री के लिए रखी गई कुल अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iv) प्राप्त की गई बोलियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से लाभ की अधिकतम दर अथवा न्यूनतम पेशकशी कीमत निर्धारित करेगा जिस पर नीलामी में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। कीमत आधारित नीलामियों के मामले को छोड़कर, नीलामी में निर्धारित आय की अधिकतम दर नीलामी में बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में प्रति वर्ष कूपन दर प्रतिशत होगी।

(v) प्रतिभूतियों के निर्गम की नीलामियों(लाभ आधार अथवा कीमत आधार पर)भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए समरूप मूल्य तरीके या अनेक मूल्य तरीके या किसी अन्य तरीके से आयोजित की जाएंगी।

(क) जहां नीलामी को समरूप मूल्य तरीके द्वारा आयोजित किया जाता है, वहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अद्यतन दरों पर आमंत्रित प्रतियोगी बोलियों तथा लाभ की अधिकतम दर समाहित या अद्यतन मूल्यों तथा न्यूनतम आमंत्रण मूल्य समाहित को लाभ की अधिकतम दर या इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम आमंत्रण मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।भारतीय रिजर्व बैंक लाभ की अधिकतम दर से अधिक तथा बैंक द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम लगाई गई बोलियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

(ख) जहां नीलामी अनेक मूल्य तरीके द्वारा आयोजित की जाती हो, वहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित लाभ की अधिकतम दर या न्यूनतम आमंत्रण मूल्य पर आमंत्रित बोलियां स्वीकृत होंगी।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लाभ की अधिकतम दर से कम दर अथवा न्यूनतम आमंत्रण मूल्य से अधिक पर निविदा की गई अन्य बोलियों को लाभ की दर अथवा संबंधित बोली में उद्धृत दरों पर स्वीकार किया जाएगा। लाभ आधारित नीलामियों में, उन सफल बोलीदाताओं, जिनकी दरें लाभ की अधिकतम दर से अपेक्षाकृत कम होती है, को प्रीमियम के रूप में कीमत अंतर का भुगतान करना आवश्यक होगा।भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लाभ की अधिकतम दर से ऊंची दरों पर उद्धृत बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

(ग) जहां नीलामी किसी अन्य विधि द्वारा आयोजित होती है, बोलियों की स्वीकृति की विधि का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट व्यष्टि और संस्थाएं (जिन्हें खुदरा निवेशक कहा गया है) भारत सरकार के परामर्श से अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुसूचित बैंक अथवा ऐसी सेवाओं की पेशकश करने वाले डीलर अथवा इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, अप्रतिस्पर्धी आधार पर नीलामियों में भागीदारी कर सकते हैं।अप्रतिस्पर्धी आधार पर भागीदारी करने के लिए, पात्रता मानदंड और वह विधि जिसके अनुसार ऐसी बोलियों को प्रस्तुत किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएंगी। अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को प्रतिभूतियों का आबंटन भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकाधिकार के आधार पर किया जाएगा और उस मूल्य पर किया जाएगा जो नीलामी में स्वीकार की गई प्रतिस्पर्धी मूल्यों के आधार पर प्राप्त हुए भारित औसत मूल्य अथवा विशिष्ट अधिसूचना में घोषित किसी अन्य मूल्य से अधिक न हो। अप्रतिस्पर्धी आधार पर खुदरा निवेशकों को आवंटित किए जाने वाली प्रतिभूतियों की नॉमिनल राशि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट नॉमिनल राशि के अंदर अथवा बाहर, निर्गम की कुल नॉमिनल राशि के अधिकतम प्रतिशत अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत तक सीमित होगी।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से अतिरिक्त अभिदानों को उस सीमा तक स्वीकार करने का विवेकाधिकार रखता है, जो प्रतिभूति से संबंधित विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो सकती है और वह तदनुसार प्रतिभूति का आबंटन करेगा।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार के परामर्श से पूरा विवेकाधिकार होगा कि वह उचित समझे तो, बिना कोई कारण बताए, किसी या सभी बोलियों को पूर्णतःअथवा अंशतः स्वीकृत अथवा रद्द कर सकता है।

5.2 पूर्व-घोषित कूपन दरों पर प्रतिभूतियों का निर्गम

(i) ऐसी प्रतिभूतियों पर कूपन निर्गम की तारीख से पहले घोषित किया जाएगा और निर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम/ छूट के अनुसार जारी की जाएगी।

(ii) यदि कुल अभिदान किसी निर्धारित कूपन प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री के लिए प्रस्तावित कुल राशि से बढ़ जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से सभी आवेदकों को आंशिक आबंटन कर सकता है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार के परामर्श से ग्रीनशू विकल्प अर्थात प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशेष अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाली सीमा तक अधिक अभिदान स्वीकार करने और तदनुसार प्रतिभूति का आबंटन करने का विवेकाधिकार होगा।

(iv) भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक को यह विवेकाधिकार होगा कि वह कोई कारण बताए बिना ही किसी या सभी आवेदनों को पूर्णत: या अंशतः स्वीकृत या रद्द कर सकता है।

5.3 टैप बिक्री के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गम

टैप पर बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में अधिसूचना में कुल राशि नहीं दर्शाई जाती है। ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री को एक से ज्यादा दिन तक बढ़ाया जा सकता है और इस बिक्री को किसी भी दिन बैंकिंग कार्य समय के दौरान किसी भी समय बंद किया जा सकता है।

5.4 परिपक्व होने वाली राजकोषीय हुंडियों/दिनांकित प्रतिभूतियों के रूपांतरण में नई सरकारी प्रतिभूतियों की स्विचिंग/ निर्गम

कुछ निर्दिष्ट परिपक्वता वाली राजकोषीय हुंडियों के धारकों और निर्दिष्ट दिनांकित प्रतिभूतियों के धारकों को यह विकल्प दिया जाता है कि अपनी राजकोषीय हुंडियों/दिनांकित प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट मूल्यों पर बिक्री के लिए प्रस्तावित नई प्रतिभूतियों में रूपांतरित करा लें।नई प्रतिभूतियों को नीलामी/ पूर्व घोषित कूपन आधार पर निर्गमित किया जा सकता है।

6 विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां

भारत सरकार समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकती है:-

(i) नियत कूपन दरों वाली प्रतिभूतियां।

(ii) घटने बढ़ने वाली कूपन दरों वाली प्रतिभूतियां अर्थात मुक्तदर बांड (एफआरबी), महंगाई से जुड़े बांड, पूंजी सूचकांकित बांड(ज़ेडसीबी)

(iii) जीरो कूपन बांड।

(iv) वे प्रतिभूतियां जिनके लिए अभिदान विनिर्दिष्ट किस्तों में प्राप्त होता है।

(v) वे प्रतिभूतियां जिनके लिए भारत सरकार द्वारा वापसी अदायगी विनिर्दिष्ट किस्तों में की जाती है(नियत संख्या और किस्तों की राशि के जरिए परिशोधन)।

(vi) अंत:स्थापित व्युत्पाद वाली प्रतिभूतियां (उदाहरणार्थ कॉल और पुट ऑप्शन)।

(vii) किसी विशिष्ट अधिसूचना में यथा अधिसूचित किसी अन्य विशेषता वाली प्रतिभूतियां।

7 विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों की विशेषताएं

7. 1 नियत कूपन दरों वाली प्रतिभूतियां

(i) प्रतिभूति की अवधि के दौरान नियत की गई शेष प्रतिभूतियों पर विशिष्ट कूपन दर लागू रहेगी और उसका भुगतान आवधिक रूप से किया जाएगा।

(ii) प्रतिभूति का निर्गम बट्टे पर, सममूल्य पर अथवा अंकित मूल्य के प्रीमियम पर किया जाएगा।

(iii) प्रतिभूति का शोधन सममूल्य पर किया जाएगा।

7.2 घटने-बढ़ने वाली कूपन दरों वाली प्रतिभूतियां अर्थात अस्थायी दर बॉन्ड आदि

(i) प्रतिभूति पर वह कूपन दर लागू रहेगी जो संबंधित संदर्भित दर में परिवर्तन होने के अनुसार अलग-अलग होगी।संदर्भित दर का वर्णन और वहतरी का जिससे कूपन दर आधार दर से संबंधित है, विशिष्ट अधिसूचना में घोषित किया जाएगा।

(ii) कूपन दर न्यूनतम निर्धारित दर अथवा उच्चतम दर, यदि कोई हो, विशिष्ट अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, के अधीन हो सकती है।

(iii) घटने बढ़ने वाली कूपन दर वाली प्रतिभूतियों/बांडों के संबंध में निर्गम की विधि विशिष्ट अधिसूचना में घोषित विधि के अनुसार होगी।

7.3 जीरो कूपन बांड

(i) शून्य कूपन बांड बट्टे पर जारी किए जाते हैं और इनका मोचन सममूल्य पर किया जाता है। ऐसे बॉन्डों पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता।

(ii) नीलामी द्वारा जारी किए गए शून्य कूपन बांडों के संबंध में मूल्य, जिस पर शून्य कूपन के बांड प्रति 100 रुपए (सांकेतिक) खरीद करने का प्रस्ताव है जिसे चार दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया गया है, का आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।आवेदन, जिसमें आवश्यक ब्योरे जैसे का बॉन्ड का नामिनल मूल्य, प्रति 100 रुपये मूल्य जिस पर बांड की खरीद किए जाने का प्रस्ताव है अथवा जिनमें अपूर्ण ब्यौरे दिए गए हैं, आवेदक को किसी उल्लेख के बिना रद्द कर दिए जाएंगे।

(iii) निविदाओं के जरिए प्राप्त की गई बोलियों के आधार पर वह कट ऑफ मूल्य जिस पर मुक्त कूपन बॉन्डों की खरीद के लिए निविदाएं स्वीकार की जाएगी। यह नीलामी भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी जो किसी भी बोली या सभी बोलियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकार अथवा रद्द कर सकता है। ऐसी सभी बोलियां जो कटऑफ मूल्य से अधिक पाई जाती है, स्वीकार की जाएंगी और अन्य सभी बोलियां जिन्हें स्वीकृत कट ऑफ मार्क्स से कम पाया जाएगा, रद्द कर दी जाएंगी।

7.4 इस पद्धति के जरिए जारी प्रतिभूतियां जिनके लिए या तो अभिदान प्राप्त होता है अथवा वापसी अदायगी किस्तों में की जाती है।

प्रतिभूतियां या तो नीलामी द्वारा अथवा कूपन दर पूर्व घोषणा करके जारी की जाती है। प्रतिभूतियों की विशेषता यह है कि प्रतिभूतियों का भुगतान या तो विनिर्दिष्ट किस्तों में प्राप्त होता है अथवा प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी विनिर्दिष्ट किस्तों में की जाती है, जैसाकि प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशिष्ट अधिसूचना में अधिसूचित है।

7.5 अन्तः स्थापित व्युत्पाद वाली प्रतिभूतियां

सरकारी प्रतिभूतियां अंतःस्थापित व्युत्पत्तिक विशेषताओं के साथ उदाहरणार्थ कॉल तथा पुट ऑप्शन निर्गमित की जाए। सरकारी प्रतिभूति की वापसी अदायगी, विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व भारत सरकार के विकल्प पर उस सूरत में की जाए जहां सरकारी प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशिष्ट अधिसूचना में एक कॉल ऑप्शन विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा सरकारी प्रतिभूति की विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व, प्रतिभूति के धारक के विकल्प पर उस सूरत में वापसी अदायगी की जाए जहां सरकारी प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित विशिष्ट अधिसूचना में एक पुट ऑप्शन विनिर्दिष्ट किया गया है।

8. विशिष्ट अधिसूचना में घोषित की जाने वाली अन्य निबंधन एवं शर्तें

सरकारी प्रतिभूति के प्रत्येक निर्गम की अन्य विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर विशिष्ट अधिसूचनाओं में अलग से अधिसूचित की जाएंगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

GENERAL NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

Subject : Sale of Government of India Securities

F.No.4(2)-W&M/2018.—Government of India, in supersession of Notification F.No.4(9)-W&M/2000 dated 6thMay, 2002, and Notification F.No.4(13)-W&M/2008 dated 8th October, 2008 issued by Government of India, hereby notifies general guidelines for issuance of Government Securities (hereinafter referred to as Securities). Issuance of Securities, will be subject to terms and conditions spelt out in this Notification (called the **'General Notification'**) as also terms and conditions notified separately in the **Specific Notifications** to be issued from time to time in respect of each security issue.

The General Notification lists out basic terms and conditions applicable to issues of Government Securities (**G-Secs**) and the features and methods of issue of different types of Government Securities. Specific Notification issued from time to time in respect of each security issue, will supplement the General Notification and cover additional specific features pertaining to the particular security issue.

2. General Terms and conditions applicable to Government Securities

The general terms and conditions applicable to all issues of Government Securities will be as under:

2.1 Eligibility for Investment

Investment in the Government Securities may be made by any person resident in India, including firms, companies, corporate bodies, institutions, State Governments, Provident Funds and Trusts, Non-Resident Indians, Overseas Citizens of India Foreign Portfolio Investors (**FPIs**) registered with the Securities and Exchange Board of India (**SEBI**)and approved by Reserve Bank of India (**RBI**) and other person not resident in India, as specified by the RBI with the prior approval of the Government of India, in this regard. Foreign Central Banks (**FCBs**) will also be eligible to invest in the Government securities subject to the terms and conditions stipulated by the RBI, in consultation with the Government of India, in the Scheme for Rupee Investments by FCBs. Investment by a person resident outside India or a Company which is incorporated outside India or any branch of such Company shall be subject to the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (**FEMA**) and Regulations framed there under, in addition to the other provisions of law applicable to Government Securities.

2.2 Minimum Subscription

Government Securities will be issued for a minimum amount of ₹ 10,000 (Face Value) and in multiples of ₹ 10,000 thereafter.

2.3 Procedure for Application

(i) Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India's Core Banking Solution (E-Kuber) system on the day of the auction, up to the close of auction time prescribed by the RBI. Bids in physical form will not be accepted except in extraordinary circumstances such as network failure, etc. FPIs and NRIs, however, should submit their applications through the designated Authorised Dealer bank branches.

(ii) Applications for Government Securities other than through the auction mode, such as for Sovereign Gold Bonds, 7.75% savings taxable bonds, etc. duly filled in and complete in all respects should be submitted to the office of RBI or any other office notified for the purpose, before the close of specified time/banking hours notified by the RBI on the specified date(s).

(iii) Interested persons submitting applications for purchase of Government Securities shall also be bound by other terms and conditions as indicated in the Specific Notification.

2.4 Payment for Government Securities

Payment for the Government Securities shall be made by the successful applicants/investors on such dates as mentioned in the Specific Notification, by means of cheque drawn on RBI, Mumbai or any specified office of RBI or Banker's pay order or by authority to debit their current account with RBI or by Electronic Fund Transferor by any other means as specified by RBI.

2.5 Form of Security

The Government Securities shall be issued to the investors by credit to their Subsidiary General Ledger Account or to a Constituents' Subsidiary General Ledger Account[1], maintained with RBI or by credit to their Bond Ledger Account maintained with RBI or with any institution authorised by the RBI in this behalf as per the Government Securities Act, 2006, or in the form of Stock Certificate or in such other form as may be prescribed under the provisions of the Government Securities Act, 2006. The other Form of G-Secs will be notified separately, if and where necessary.

2.6 Payment of Interest

(i) Interest on Government Securities will be paid at the Public Debt Offices of the RBI or any other office of Reserve Bank of India notified for this purpose from time to time, or at branches of the State Bank of India or at any Treasury or Sub-Treasury served by Public Debt Office where there is no office of Reserve Bank of India or branch of the State Bank of India, except Sikkim, where tie-up is with State Bank of Sikkim. Interest on securities held in Bond Ledger Account with any of the offices of RBI/ Agency, as specified by Reserve Bank of India in this behalf, will be paid at such Office/Agency.

(ii) Interest will be paid after rounding off the amount to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee.

2.7 Repayment of Government Securities

(i) The Government Securities will be repaid at Public Debt Offices of the Reserve Bank of India or any other institution at which they are registered at the time of repayment.

(ii) The Government Security may be repaid at the option of Government of India, before the specified redemption date, where a 'call option' is specified in the Specific Notification relating to the issue of a Government Security. The redemption in such cases will be made in line with the conditions contained in the Specific Notification.

(iii) The Government Security may be repaid, at the option of the holder of the Security, before the specified redemption date, where a 'put option' is specified in the Specific Notification relating to the issue of a Government Security. The redemption in such cases will be made in line with the conditions contained in the Specific Notification.

(iv) The Government Security will be repaid on the date of redemption specified in the Specific Notification, when neither a 'Call Option' nor a 'Put Option' is specified/exercised.

2.8 Transferability of Government Securities

(i) Government Securities can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed there under, and the terms of this notification and any further notification which may be issued by the Government of India from time to time in this regard.

(ii) The conversion of any Security issued from one form to the other will be subject to the restrictions with respect to the forms in which the Government Securities shall be issued.

(iii) The transfers of Government Securities by NRIs, FPIs and FCBs will be subject to Regulations framed under FEMA and guidelines issued by the RBI. Transfer of securities by FPIs, in addition, will also be subject to applicable SEBI's FPI Regulations 2014, as modified from time to time.

---

[1]CSGL are the SGL accounts with RBI where the G-Secs of bank's customers are held separately from the banks' own holding of G-Secs.

2.9 Laws applicable in regard to the Government Securities

(i) The rights of all persons subscribing to or holding the Government Securities shall be determined in accordance with the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007, framed there under, read with the terms of this Notification and such other Notification as may be issued from time to time or by the terms of Press Releases, as may be issued in future by Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, in this regard.

(ii) The provisions of the tax laws for the time being in force in India will be applicable for the purposes of assessing and determining the liability of the investor or holder of the Government Securities.

(iii) Any dispute in relation to the Government Securities shall be subject to the jurisdiction of the Courts in India.

3. Participation by Reserve Bank of India

The Reserve Bank of India may also, under exceptional circumstances brought out in the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003, as amended from time to time, and the Rules framed there under, participate in the auction as a non-competitor or subscribe to the Government Securities in other issues. Allotment of Securities to Reserve Bank of India will be at the cut off price/yield emerging in the auction or at a negotiated price/yield decided by the Government of India.

4. Modes of issue of Government Securities

The Government of India may issue Government Securities, from time to time, through following modes:

i. Auction, either yield based or price based.

ii. At pre-announced fixed coupon rates with bidding limited to participants, as notified by GoI.

iii. On-tap sale.

iv. By conversion of treasury bills/dated securities.

v. Any other mode, as may be notified.

5. Features of different modes of issue of Government Securities

5.1 Issue of Securities through auction

(i) The Securities will be issued through auction, either on price basis or on yield basis. Where the issue is on price basis, the coupon will be pre-determined, e.g. in re-issued G-Secs, and the bidders have to quote the price per ₹ 100/- face value of the security, at which they desire to purchase the security. Where the issue is on yield basis, the coupon of the security is decided in an auction conducted by RBI in the manner as provided hereinafter and further provided in the Specific Notifications issued from time to time. The security carries the same coupon till maturity, except for Floating Rate Bonds (**FRBs**).

(ii) The yield per cent per annum or the price, as the case may be, expressed up to four decimal places, should be clearly stated in the application.

(iii) An applicant may submit multiple bids at same/different rates of yield or prices, as the case may be, through separate applications for each bid. The aggregate amount of bids submitted by a person for an individual security should not exceed the aggregate amount of Government Securities offered for sale, plus additional amount that can be retained under the green shoe option, if any, that the Government may like to exercise. Further, the aggregate amount of all bids submitted by a person in the auction should not exceed the total notified amount offered for sale in that particular auction.

(iv) On the basis of the bids received, the Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, will determine the maximum rate of yield or the minimum price offered, as the case may be, at which offers for purchase of Government Securities will be accepted at the auction. Except in the case of price-based auctions, the maximum rate of yield determined at the auction will be the per annum coupon rate on the Securities sold at the auction.

(v) The auctions for issue of securities (yield basis or price basis) can be held as per ‘Uniform price’ method or on ‘Multiple price’ method or any other method as decided by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India.

(a) Where an auction is held as per 'Uniform price' method, competitive bids offered with rates up to and including the maximum rate of yield or the prices up to and including the minimum offer price, as determined by the Reserve Bank of India, will be accepted at the maximum rate of yield or minimum offer price so determined. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, as determined by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, will be rejected.

(b) Where an auction is held on 'Multiple price' method, competitive bids offered up to the maximum rate of yield or the minimum offer price, as determined by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, will be accepted at the respective bid rate, subject to a ceiling of notified amount, including the green shoe option. In yield-based auctions, successful bidders, whose quotes are lower than the maximum rate of yield accepted, are required to pay the price differential in the form of a premium. All other bids, viz bids quoted higher than the cut-off rate of yield or lower than the cut-off price, as determined by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, will be rejected.

(c) Where the auction is held on any other method, the method of acceptance of the bids will be decided by the Government of India.

(vi) Individuals and institutions,(called 'Retail investors'), as may be specified by the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, can participate in the auctions on 'non-competitive' basis, indirectly through an aggregator/ Facilitator as per the scheme of Non-competitive bidding facility announced by the RBI, in consultation with the Government of India. Eligibility criteria for participation on non-competitive basis and the manner in which such bids should be submitted will be announced by Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India. Allocation of the Securities to non-competitive bidders will be at the discretion of the RBI, in consultation with the Government of India, and will be at a price not higher than the weighted average price arrived at on the basis of the competitive bids accepted at the auction (including the amount of green shoe option) or any other price announced in the Specific Notification. The nominal amount of Securities that will be allocated to Retail investors on non-competitive basis will be restricted to a maximum percentage of the aggregate nominal amount of the issue, within or outside the nominal amount, as specified in the Specific Notification by the Government of India.

(vii) The Reserve Bank of India, in consultation with Government of India, will have the discretion to accept excess subscriptions to the extent as may be specified in the 'Specific Notification' pertaining to the issue of the Security and make allotment of the security accordingly.

(viii) The Reserve Bank of India will have full discretion, in consultation with the Government of India, to accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason.

5.2 Issue of Securities at pre-announced coupon rates

(i) The coupon on such Securities will be announced before the date of floatation and the Securities may be issued at par/premium/discount as per the Specific Notification.

(ii) In case the total subscription exceeds the aggregate amount offered for sale in respect of affixed coupon Security, the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, may make partial allotment to some or all the applicants.

(iii)The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, will have the discretion to go for Green Shoe Option i.e. accept excess subscriptions to the extent as may be specified in the 'Specific Notification' pertaining to the issue of the Security and make allotment of the security accordingly.

(iv) The Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, will have the discretion to accept or reject any or all applications, either wholly or partially, without assigning any reason.

5.3 Issue of Securities through tap sale

No aggregate amount is indicated in the notification in respect of the Securities sold on tap. Sale of such Securities may be extended to whole or part of the year and the sale may be closed at any time on any day.

5.4 Switching/ Issue of new Government Securities in conversion of maturing Treasury Bills/dated securities

The holders of Treasury Bills of certain specified maturities and holders of specified dated securities are provided an option to convert the respective Treasury Bills/dated security at specified prices into new Securities offered for sale. The new Securities could be issued on an auction/pre-announced coupon/ price basis.

6.Types of Government Securities.

The Government of India may issue from time to time the following types of Securities:

i. Securities with fixed coupon rates.

ii. Securities with variable coupon rates, e.g. Floating Rate Bonds (**FRBs**), Inflation Linked Bonds, Capital Indexed Bonds, etc.

iii. Zero Coupon Bonds (**ZCBs**).

iv. Securities for which the subscription maybe paid in specified instalments.

v. Securities for which repayment by GoI is made in specified instalments (amortisation through fixed number and amount of instalments).

vi. Securities with Embedded Options (e.g. Call and Put Options).

vii. Securities with other features as notified in the Specific Notification.

7. Features of Types of Government Securities

7.1 Securities with fixed coupon rates

(i) Such securities carry a specific coupon rate remaining fixed during the term of the security and payable periodically.

(ii) Issue of security may be at a discount, at par or at a premium to the face value.

(iii) Redemption of the Security will be at par.

7.2 Securities with variable coupon rates, viz., Floating Rate Bonds, etc.

(i) The Security carry a coupon rate which will vary according to the change in the reference rate to which it is linked. The description of the reference rate and the manner in which the coupon rate is linked to the former will be announced in the Specific Notification.

(ii) Coupon rate may be subject to a floor or cap, if any, as the case may be, as prescribed in the Specific Notification.

(iii) Method of issue in respect of securities/bonds with variable coupon rate will be as announced in the Specific Notification.

7.3 Zero Coupon Bonds (ZCBs)

(i) ZCBs are issued at a discount and redeemed at par. No interest is paid on such bonds.

(ii) In respect of ZCBs issued through auction, the price at which the ZCBs are proposed to be purchased per ₹ 100 of nominal value, expressed up to four decimal places should be specifically stated in the application. Applications which do not contain details, such as the nominal value of the Bonds, the price per ₹ 100 at which Bonds are proposed to be purchased or which contain any other incomplete details are liable to be rejected, without any reference to the applicant.

(iii) On the basis of the bids received through tenders, the cut-off price at which tenders for purchase of Zero Coupon Bonds will be accepted at the auction would be determined by RBI, in consultation with the Government of India, to accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason. All such bids, which are found to be up to the cut-off price, will be accepted and all other bids, which are found to be lower than the accepted cut-off price, will be rejected.

7.4 Securities issued through the method where either the subscription and/or repayment is received/paid in instalments

The Securities under this method are issued either by auction or at pre-announced coupon rate. The special feature of the Securities is that either the payment for the securities is received in specified instalments or the repayment of the securities is made in specified instalments, as notified in the Specific notification relating to the issue of the security.

7.5 Securities with Embedded Derivatives

Government Securities may be issued with embedded derivative features, for example, Call and Put Options. The Government security may be repaid at the option of Government of India, before the specified redemption date, where a call option is specified in the Specific Notification relating to the issue of a Government Security and the Government Security may be repaid, at the option of the holder of the Security, before the specified redemption date, where a 'put option' is specified in the Specific Notification relating to the issue of a Government Security.

8. Other Terms and conditions to be announced in the Specific Notification:

The other terms and conditions specific to each issue of Government Securities will be notified separately in the Specific Notifications from time to time.

By Order of the President of India,

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.28 15:34:21 +05'30'